

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03072021-228098
SG-DL-E-03072021-228098

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 66
No. 177]	DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943	[N. C. T. D. No. 66

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 02 जुलाई, 2021

सं. फा. 6(47)/सी.एफ./एच.क्यू./एकाउन्ट/कैम्पा/भाग-1/1917.—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 20 नवंबर, 2018 को प्रतिपूरक वनरोपण (लेखा प्रक्रिया) नियमावली, 2018 पर अधिसूचना जारी की गई और दिनांक 29 सितंबर, 2020 के सूच्य खाता के नए प्रमुख की शुरुआत पत्र संख्या 11-4/पी.आर. ए ओ/ एम.एम.ए/लोन/2020-2021/164 एवं सार्वजनिक खाता के अंतर्गत राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि की स्थापना पर गृह मंत्रालय का अनुमोदन तथा इस संबंध में जारी सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के लिए सार्वजनिक खाते के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख जमा खाताओं एवं व्यय खाताओं को निम्न प्रकार से परिचालन हेतु अपनाया गया है।

मुख्य शीर्ष	8336— सिविल डिपॉजिट	8121— सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि
उप— मुख्य शीर्ष	00	00
लघु शीर्ष	103— राज्य क्षतिपूर्वक वनीकरण जमा (एस.सी.ए.डी)	129— राज्य क्षतिपूर्वक वनीकरण (एस.सी.ए.फ)
उप शीर्ष	01— क्षतिपूर्वक वनीकरण	01—क्षतिपूर्वक वनीकरण
	02— जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	02—जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना
	03— एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना	03—एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना
	04— वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	04— वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य
	05— ब्याज	05— ब्याज
	06—अन्य	06—अन्य
विस्तृत शीर्ष	01—दिल्ली	01—दिल्ली
वस्तु—शीर्ष	00	00

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd July, 2021

No. F.6(47)/CF/HQ/Accounts/Campa/Part-I/1917 In compliance to the instructions of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, issued vide Notification dated 20th November, 2018 on Compensatory Afforestation fund (Accounting Procedure) Rules, 2018 and approval of Ministry of Home Affairs on establishment of State Compensatory Afforestation Fund under Public Account and Opening of new head of account communicated vide letter No. 11-4/Pr.AO/MHA/Loan/2020-2021/164 dated 29th September, 2020 and in supersession of all the earlier notifications issued in this regard except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the following Deposit Head of Account under the Public Account and Expenditure Head of Accounts for the GNCTD Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority is adopted for operating as follows:-

Major Head	8336-Civil Deposit	8121-General & Other Reserve Funds
Sub Major Head	00	00
Minor Head	103-State Compensatory Afforestation Deposits (SCAD)	129- State Compensatory Afforestation Fund (SCAF)
Sub Head	01- Compensatory Afforestation	01- Compensatory Afforestation
	02- Catchment Area Treatment Plan	02- Catchment Area Treatment Plan
	03- Integrated Wildlife Management Plan	03- Integrated Wildlife Management

		Plan
	04- Net Present Value of Forest Land	04- Net Present Value of Forest Land
	05- Interest	05- Interest
	06- Others	06- Others
Detailed Head	01- Delhi	01- Delhi
Object Head	00	00

By Order and in the Name of

Hon'ble Lt. Governor NCT. of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Forests and Wildlife)